न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 114 / 2021 **GCMS 2021/445**

<u>वादीगण :-</u>

1. हीरालाल पुत्र किशनाराम जाति नायक, आयु 66 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
2. मोहनी पुत्री किशनाराम जाति नायक, आयु 74 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
3. शायरी पुत्री किशनाराम जाति नायक, आयु 51 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
4. पांचूराम पुत्र बक्शाराम जाति नायक, आयु 63 वर्ष, निवासी हाल जैन राजपूत बस्ती, लिचाणा , तहसील-नावां सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
5. भैरूंराम पुत्र मांगूराम जाति नायक, आयु 55 वर्ष, निवासी भगवानपुरा शिव, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
6. बरजीदेवी पत्नी पूरणमल जाति नायक, आयु 49 वर्ष, निवासी कूकनवाली, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
7. घीसालाल पुत्र नन्दाराम जाति नायक, आयु 71 वर्ष, निवासी रसीदपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला- नागौर (राजस्थान)
8. भंवरीदेवी पत्नी मुक्तिलाल जाति नायक, आयु 59 वर्ष, निवासी चौसला, तहसील-नावां सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
9. हनुमानराम पुत्र घीसालाल जाति नायक, आयु 51 वर्ष, निवासी रसीदपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला- नागौर (राजस्थान)
10. गणपतीदेवी पत्नी प्रकाशचन्द जाति नायक, आयु 46 वर्ष, निवासी डीडवाना रोड कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
11. मन्जू देवी पत्नी कैलाश जाति नायक, आयु 39 वर्ष, निवासी रसीदपुरा मार्ग मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला- नागौर (राजस्थान)
12. सन्तोष देवी पत्नी स्व. रामेश्वर जाति नायक, आयु 47 वर्ष, निवासी मेघवालों की धर्मशाला के पास पलाड़ा, तहसील- कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
13. मुन्नी देवी पत्नी हीरालाल जाति नायक, आयु 45 वर्ष, निवासी मेघवालों पलाड़ा, तहसील- कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
14. दुर्गा देवी पत्नी फूलचन्द जाति नायक, आयु 37 वर्ष, निवासी रसीदपुरा मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला- नागौर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

15. गौरीदेवी पत्नी देवाराम जाति नायक, आयु 34 वर्ष, निवासी नायकों का मोहल्ला,रूपनगढ़ तहसील-रूपनगढ़, जिला- अजमेर (राजस्थान)
16. प्रमोददेवी पत्नी रामकिशन जाति नायक, आयु 36 वर्ष, निवासी नायकों का मोहल्ला,त्योद तहसील-फुलेरा, जिला- जयपुर (राजस्थान)

समस्त वादिगण जरिये आम मुख्त्यार हीरालाल पुत्र किशनाराम जाति नायक, आयु 66 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)

बनाम

<u>प्रतिवादीगण :-</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, तहसील- कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)

<u>दावा बाबत घोषणा खातेदारी,रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955</u>

उपस्थित – श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण की और से
प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित

<u>*निर्णय*</u>

दिनाक - 08/06/2022

वादीगण जरिये आम मुख्त्यार हीरालाल पुत्र किशनाराम जाति नायक, आयु 66 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान) की ओर से वाद-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौजा ग्राम हल्का कुचामन सिटी की सरहद में पुराने खसरा संख्या 745 मिन रकबा 14 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जो ठिकाना कुचामन सिटी की मकबूजा जागीर भूमि रही है जिसके नवीन भू-प्रबन्ध कार्यवाही में नए खसरा संख्या 2162, 2163, 2164, 2342 कुल रकबा 2.2662 हेक्टर आई हुयी है। पुराने खसरा संख्या 745 मिन रकबा 14 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नए खसरा संख्या 2162 रकबा 0.2400 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2163 रकबा 0.1500 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2164 रकबा 0.0800 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2342 रकबा 1.7962 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन खारड़ा कुल रकबा 2.2662 हेक्टेयर वादीगण के पिता/दादा किशना पुत्र रूपा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नायक के खातेदारी व कब्ज़ा काश्त की रही है उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि विरासत में वादिगण को प्राप्त हुयी है जिसके वे खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है

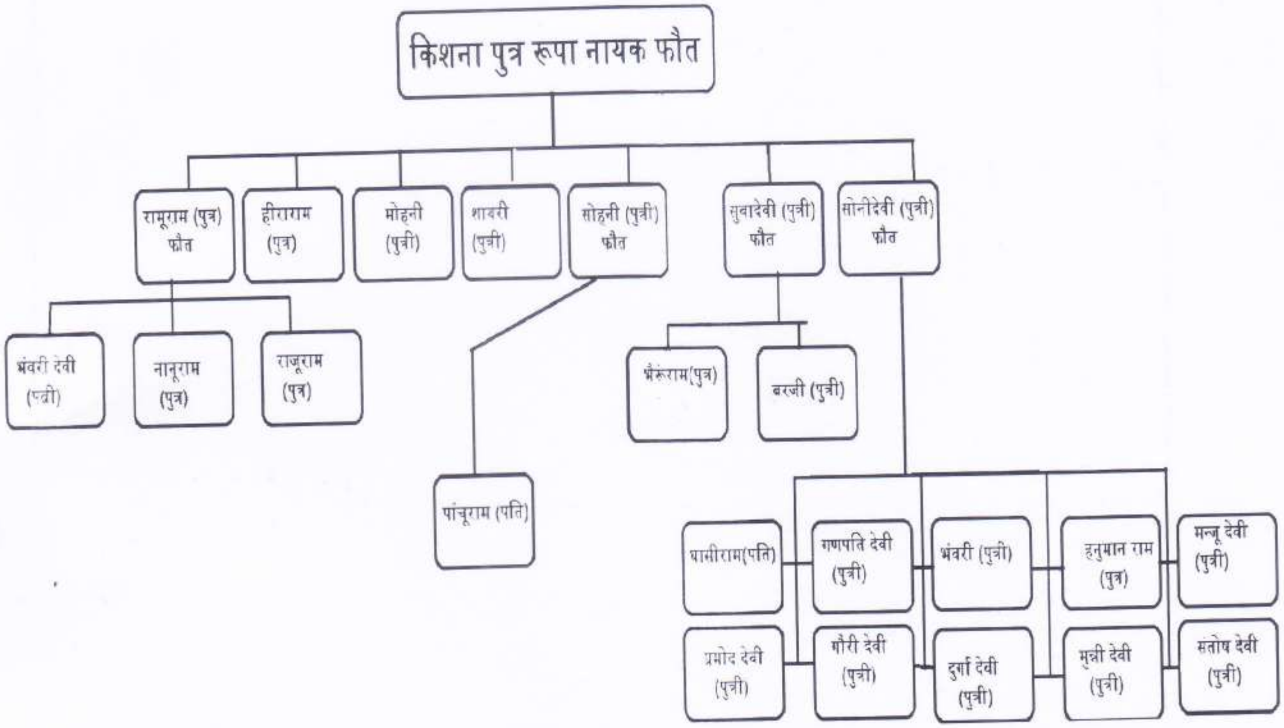

पुराने खसरा संख्या 745 मिन रकबा 14 बीघा भूमि किशना पुत्र रूपा नायक के खातेदारी अधिकारों की रही है। किशना पुत्र रूपा नायक कोखसरा संख्या 745 मिन रकबा 14 बीघा भूमि पर काबिज काश्त होने से जनाब असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर नागौर जरिये मिसल नंबर 572/57 के फैसला दिनांक 17/10/1957 सम्वत् 2014-17 का पर्चा लगान बनाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था । उक्त भूमि 14 बीघा का लगान अदा किया जाता रहा तथा 01/08/1958 को इस क्षेत्र में राजस्थान टेनेंसी एक्ट के लागू होने पर लगान सरकार को अदा किया गया जो नाल भाट संख्या 91 के जरिये अदा किया। किशना पुत्र रूपा नायक को दिनांक 17/10/1957 को खातेदार काश्तकार घोषित कर इसका अंकन गिरदावरी सम्वत् 2014-17 कर दिया गया परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बन्दोबस्त अधिकारी व कर्मचारियों की भूलवश जमाबंदी में इन्द्राज होना रह गया था। किशना सम्वत् 2010 से ही काबिज काश्त वादग्रस्त 14 बीघा भूमि पर रहा था तथा उसके बाद वारिसान काबिज काश्त है। उपरोक्त वादग्रस्त पुराने खसरा संख्या 745 मिन रकबा 14 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नए खसरा संख्या 2162 रकबा 0.2400 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2163 रकबा 0.1500 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2164 रकबा 0.0800 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2342 रकबा 1.7962 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन खारड़ा को द्वितीय भू-प्रबन्ध के समय भी उक्त वादग्रस्त भूमि सिवाय चक सरकार के खाते में इन्द्राज कर दी गयी। किशना पुत्र रूपा नायक अनपढ़ व्यक्ति होने से कभी भी उसने राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं की तथा ना ही उसके वारिसान ने राजस्व रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की। वादीगण द्वारा अपने कब्ज़ा काश्त की भूमि नवीन खसरा संख्या 2162, 2163, 2164, 2342 की भौतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ दिन पहले हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकलें व नक्शा प्राप्त किया व भू-अभिलेखागार नागौर से राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की तो उन्हें पता चला की उनके कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि सरकारी खाते में इन्द्राज की हुयी है तथा उनके नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अब उक्त भूमि तहसीलदार कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक राजस्व/2019 /432 दिनांक 18/09/2019 की पालना में व श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर के आदेश क्रमांक सम/2114-19 दिनांक 12/07/2019 की पालना में आवंटित कर नगर पालिका कुचामन सिटी के नाम प्रविष्टी क्रमांक 5190022/11/2019 के नाम नामान्तकरण दिनांक 03/12/2019 को स्वीकृत होकर नगरपालिका कुचामन सिटी के नाम इन्द्राज हो गयी। वादीगण का पिता/दादा किशना पुत्र रूपा पुराने खसरा संख्या 745 मिन रकबा 14 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नए खसरा संख्या 2162 रकबा 0.2400 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2163 रकबा 0.1500 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2164 रकबा 0.0800 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2342 रकबा 1.7962 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन खारड़ा कुल रकबा 2.2662 हेक्टर का खातेदार काश्तकार था तथा उसके बाद वादीगण खातेदार काश्तकार है, परन्तु

उपखण्ड अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल से किशना का नाम जमाबन्दी में इन्द्राज होने से छूट जाने के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के नाम गलत इन्द्राज होने के कारण वादीगण अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर रिकॉर्ड में संशोधन करवाने के कानूनी अधिकारी हैं इसलिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरुस्ती पेश करना लाजमी हुआ है। प्रथम दृष्टवा मामला वादिगण के पक्ष में है क्योंकि वादीगण उपरोक्त खसरे के काबिज खातेदार काश्तकार है तथा उनके नाम रिकॉर्ड में संशोधन का खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किये जाते हैं तो उन्हें भारी असुविधा होगी तथा अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में किसी प्रकार से सम्भव नहीं होगी, वे इस भूमि के उपयोग उपभोग से सदा के लिए महरूम हो जायेंगे। अगर सरकार द्वारा व नगरपालिका मंडल द्वारा उक्त भूमि को फिर से किसी अन्य कार्य के लिए आवंटित किया जाता है तो वादीगण उसमें प्राप्त अधिकारों से सदा के लिए वंचित हो जायेंगे। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक है। विनाय दावा अभी कुछ समय पूर्व वादग्रस्त खसरा संख्या की राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त करने व भू-अभिलेखागार नागौर से नकलें प्राप्त करने पर उन्हें यह जानकारी होने पर की उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं है, राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर इन्द्राज करने को कहने व इन्कार करने पर बमुकाम कुचामन सिटी उत्पन्न हुआ है जो आज दिन तक निरन्तर जारी है। वाद में पक्षकार राज्य सरकार है तथा उसकी ओर से प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार है इसलिए उन्हें दीवानी प्रकिया संहिता की धारा 80 का नोटिस प्रेषित कर दिया गया है तथा वाद में नगरपालिका कुचामन सिटी पक्षकार है जिसे नगर पालिका अधिनियम की धारा 306 के तहत नोटिस प्रेषित कर दिया गया है। वादीगण की इस्त्दुआ है कि मौजा राजस्व ग्राम कुचामन सिटी के पुराने खसरा संख्या 745 मिन रकबा 14 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नए खसरा संख्या 2162 रकबा 0.2400 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2163 रकबा 0.1500 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2164 रकबा 0.0800 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 2342 रकबा 156.9700 हेक्टर

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

किस्म गैर मुमकिन खारड़ा मे से 1.7962 हेक्टर कुल रकबा 2.2662 हेक्टर जो की वादीगण के पूर्वज किशना पुत्र रूपा नायक को दिनांक 17/10/1957 को ही खातेदार घोषित किया जाकर पर्चा लगान जारी किया जा चुका था तदनुसार वादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से, वादी संख्या 2 को 1/7 हिस्से, वादी संख्या 3 को 1/7 हिस्से, वादी संख्या 4 को 1/7 हिस्से, वादी संख्या 5 व 6 को 1/7 हिस्से, वादी संख्या 7,8,9,10,11,12,13,14,15 तथा 16 को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड में संशोधन कर उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए जावें इस आशय की घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरुस्ती की एक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे। तथा उपरोक्त भूमि मे राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति कायम रखी जावे व वादिगण के कब्जे काश्त में कोई दखल नहीं करे ऐसे आदेश प्रतिवादीगण को दिए जावे तथा इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की एक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा के पश्चात प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. को प्रस्तुत किया गया तथा दावें में अंकित खसरा नम्बर 745/1 मि. के नये खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय टंकण की गलती के कारण लिख दिये थे, जबकि वास्तविक खसरा नम्बर 2162, 2163, 2164, 2342 कुल रकबा 2.2662 हैक्टर है, उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का ऐजरात नही होने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया, तत्पश्चात वादीगण की ओर से संशोधित वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत मूल वाद का जवाब प्रतिवादी सं. 1 ने दिनॉक 09.11.2021 को प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 745 के नवीन भू–प्रबन्ध पश्चात खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.43 हैक्टर का ही भाग रहा है तथा भू–अभिलेखीय स्थिति स्वीकार है, गिरदावरी में प्रविष्टि अनुसार सही है परन्तु अधिकार अभिलेख (जमाबंदी) में इसका अंकन नही हुआ था, विवादित भ्झूमि वर्तमान में भूमि राज्य सरकार के दर्ज नही होकर नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज है, प्रतिवादी को 80 सी.पी.सी.

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

का नोटिस दिया जाकर जो अनुतोष चाहा गया है उनके क्षेत्राधिकार में नही है क्योंकि गिरदावरी सम्वत 2014–17 में " किसनो बेटो रूपा रो नायक गांव रो खातेदार परचा नं.बमुजब हुक्म जनाब ए.आर.ओ. साहब नागौर जरिये मी.नं. 572/57 के फैसला दिनॉक 17.10.57 के फैसला दिनॉक 17.10.57 के परचा लगान बना कर जारी किया गया फक्त ता. 17.10.57 प्रविष्टि अवश्य दर्ज है परन्तु तत्समय की जमाबंदी में उक्त प्रविष्टि अंकन नही होने से प्रवितादी द्वारा वादी को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते"। शेष कथन वादीगण स्वयं सिद्व करे, संशोधित वाद प्रस्तुत होकर स्वीकार होने पर प्रतिवादी सं. एक ने दिनॉक 17.02. 2022 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 745/1 मि. के नये खसरा नम्बर 2162, 2163, 2164, 2342 कायम हुये है तथा इसके अलावा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा ही स्वीकार किया जावें। प्रतिवादी सं. 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किय है कि राजस्व अभिलेख अनुसार कुचामन का गत खसरा नम्बर 745 रकबा 14 बीघा मकबूजा जागीर भूमि थी, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त अनसार वाद पत्र एवं संशोधित वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 2111 गत खसरा नम्बर 745 से कायम किये गये है एवं खसरा नम्बर 2162, 2163, 2164, गत खसरा नम्बर 745/1 से कायम किये गये है, वादीगण का कथन इस हद तक स्वीकार है कि गिरदावरी सम्वत 2014–2017 में " किसनो बेटो रूपा रो नायक गांव रो खातेदार परचा नं.बमुजब हुक्म जनाब ए.आर.ओ. साहब नागौर जरिये मी.नं. 572/57 के फैसला दिनॉक 17.10.57 के फैसला दिनॉक 17.10.57 प्रविष्टि दर्ज है एवं गिरदावरी सम्वत 2018–2021 में खसरा नम्बर 745/1 मि.रकबा 14 बीघा किसना पुत्र रूपा वगैरह नायक सा. देह खातेदार दर्ज है, उक्त भूमि वर्तमान में नगरपालिका के नाम दर्ज है राजस्व अधिनियमों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है, शेष कथन वादीगण स्वयं सिद्व करे।

वादीगण की ओर से दस्तावेती साक्ष्य में गिरदावरी नकल सम्वत 2014–2017, 2018–2021 कुचामन के गत खसरा नम्बर 745 मि. की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रमाणित प्रति, नकल खतौनी सम्वत 2070–2073, 2074–2077 वर्तमान खसरा नम्बर 2111,नक्शा ट्रेस की नकल, नामा. प्रपत्र दिनॉक 03.12. 2019 की प्रति, मृत्यु प्रमाण–पत्र की नकल, खसरा मिलान क्षेत्रफल की नकल, 80 सी.पी.सी. के नोटिस की प्रति, नोटिस 306 न.पा.अधि.की प्रति, 2074–2077 वर्तमान खसरा नम्बर 2162, 2163, 2164, 2342 की नकल प्रस्तुत की। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

उपलब्ध रेकार्ड वादपत्र एवं जवाब दावा अनुसार निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया वादीगण ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 745/1 मि. के नये खसरा नम्बर 2162 रकबा 0.2400 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2163 रकबा 0.1500 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2164 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी प्रथम खसरा नम्बर 2342 रकबा 156.9700 हैक्टर गै.मु.खारड़ा में से 1.7962 हैक्टर कुल रकबा 2.2662 हैक्टर की खातेदारी अधिकार पाने के मुश्तहक है ?

<u>जिम्मे वादीगण</u>

2. आया प्रतिवादी सं. 1 ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 745/1 मिन नये खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2342 रकबा 156.9700 हैक्टर गै.मु. खारड़ा भूमि राजकीय भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते ?

<u>जिम्मे प्रतिवादी सं. 1</u>

3. आया प्रतिवादी सं. 2 ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 745/1 मि. के नये खसरा नम्बर 2162 रकबा 0.2400 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2163 रकबा 0.1500 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2164 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी प्रथम नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज चली आ रही है राजस्व अधिनियमों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है, गिरदावरी नकल सम्वत 2014–2017, 2018–2021 में खातेदार दर्ज है परन्तु जमाबंदी मे नही है ?

<u>जिम्मे प्रतिवादी सं. 2</u>

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

4. अनुतोष ।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का मौखिक साक्ष्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

1. <u>तनकी सं. एक</u> जिसको साबित करने का भार वादीगण पर था, जिन्होने अपने समर्थन में उपरोक्त दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत किये, गिरदावरी नकल सम्वत 2014–2017 में गत खसरा नम्बर 745/1 रकबा 14 बीघा बारानी प्रथम कॉलम संख्या 5 में ठी. कुचामन कॉलम सं. 6 में किशनो बेटो रूपारो नायक गांव रो खातेदार .... बमुजव हुकम जनाब **A.R.O.** साहब नागौर जरिये मी.नं. 572/57 के फैसला दीनांक 17.10.57 परचा लगान बनाकर जारी कीया गया दस्त ता. 17.10.57 अंकित होकर सम्वत 2014, 2015, 2016, 2017 में काश्त दर्ज है तथा इसी प्रकार सम्वत 2018–2021 में वादीगण के पूर्वजो की काश्त दर्ज है, मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार किशनाराम पुत्र रूपाराम नायक की मृत्यु दिनॉक 01.04.2005 को कुचामनसिटी में हो चुकी है, मिलान क्षेत्रफल अनुसार उपरोक्त नये खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 745/1 से ही कायम हुए है। गिरदावरी सम्वत 2014–2017 के कॉलम सं. 5 "नाम उपकृषक विवरण सहित तथा कृषि काश्त" में किसनो बेटो रूपारो नायक गांवरो खातेदार बमुजब हुकम जनाब **A.R.O.** साहब नागौर जरिये मी.नं. 572/57 के फैसला दीनांक 17.10.57 परचा लगान बनाकर जारी कीया गया दस्त ता. 17.10.57 के परचा लगान बनाकर जारी किया गया, फकत तारीख 17.10.57" व 2018 से 2021 में किसना पुत्र रूपा नायक खसरा नम्बर 741/1 मि. रकबा 14 बीघा खातेदार प्रविष्टि दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने जिम्में तनकी के समर्थना में राजस्व विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.11(19) राज. ग्रुप–2162 जयपुर दिनॉक 9/10 जनवरी 1963 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त परिपत्र के बिन्दू सं. 5 की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया गया, बिन्दू सं. 5 में उल्लेख है कि " इस सम्बन्ध में इस विभाग के परिपत्र सं. एफ.1(220) रेवे. /बी./56 दिनॉक 13.09.1956 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो सरकारी भूमि को जोतते थे और यह तथ्य राजस्व अधिकारियों के ध्यान में था सरकार को लगान का

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भुगतान करते थ जिसको सरकार स्वीकार करती थी औरउनके नाम खसरा गिरदावरी में अभिलिखित किये जाते थें यह सारी बातें उनको आसामी के रूप में माने जाने की स्वीकृति दिये जाने के समान है, चाहे उनको आसामी के रूप में माने जाने के लिए औपचारिक आज्ञा नही थी। "

इसके अलावा न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीम कोर्ट दीपा बनाम स्टेट ऑफ राज. 1996 आर.बी.ो. 213 एस.सी.1996, 1996 आर.आर.डी. 535 प्रस्तुत की, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति एक बार आसामी स्वीकृत कर लिया जाता है तो वह खातेदार आसामी हो जाता है।

न्यायिक दृष्टांत 1988 RRD Page 585, 1973 RRD page 231 व 1973 RRD 409, A.I.R.1984 Raj-55, 1983 WLN 1417 प्रस्तुत किये गये है।

न्यायिक दृष्टांत A.I.R.1984 Raj-55 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण प्रहलाद व अन्य बनाम राजस्व मण्डल राज. अजमेंर में पारित निर्णय दिनॉक 12 अप्रैल 1983 के बिन्दू सं. 24 में उल्लेख किया गया है कि " khasra becomes the foundation of the 'record of rights,' The very terminology used in this para 12 clearly goes to show that it is something different from 'record of rights'. बिन्दू सं. 25 में उल्लेख है " the Khasra Girdawari is one of the documents which can be termed or treated as 'record of rights' under the Revenue law of Rajasthan. "

वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिपत्र एवं न्यायिक दृष्टांतो के परीक्षण एवं परीशीलन पश्चात तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2

उक्त तनकी मे प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दौराने बहस में अपने लिखित जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया जाकर कथन किया कि राजकीय भूमि है उसकी खातेदारी नही दी जा सकती, वकील वादीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा विधिवत सुनवाई पश्चात मि.नं. 572/57 में पारित आदेश दिनॉक 17.10.1957 के द्वारा वादीगण के पूर्वज किसनो बेटो रूपा रो नायक के नाम खातेदारी दर्ज कर किस्म बारानी द्वितीय कायम कर दी गई थी, वादीगण ने अपने पक्ष में न्यायिक दृष्टांत 1984 RRD page 462 (H.C.) प्रभूलाल बनाम राजस्व मण्डल व 1997 RRD page 194 सईदा बीबी बनाम बब्बा प्रस्तुत किये गये जिसमें उल्लेखित एवं मत व्यक्त किये गये

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज सही माने जावेंगे जब तक कि उन्हे गलत प्रमाणित नही किया जावें। उक्त तनकी सं. 2 में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत की गई बहस के अनुसार तनकी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3

उक्त तनकी सं. 2 कुचामन के गत खसरा नम्बर 745/1 के नये बने खसरा नम्बर 2162, 2163, 2164 न.पा. के नाम दर्ज चली आ रही है, राजस्व नियमों/अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है, उक्त तनकी सं. 3 के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं. 2 का कथन है कि वर्तमान में खसरा नम्बर 2162, 2163, 2164 का रकबा नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज है, वकील वादी का कथन है कि उक्त गत खसरा नम्बर 745 प्रारम्भ से ही वीदगण के पूर्वजो की खातेदारी दर्ज थी जो कि गलत रूप से नगर पालिका के नाम दर्ज हुई है, प्रस्तुत अभिलेख एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 की बहस अनुसार तनकी सं. 3 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

4. अनुतोष

उपरोक्त तीनो तनकियात वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है अतः वादीगण ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 745/1 मि. के नये खसरा नम्बर 2162 रकबा 0.2400 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2163 रकबा 0.1500 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2164 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी प्रथम खसरा नम्बर 2342 रकबा 156.9700 हैक्टर गै.मु.खारड़ा में से 1.7962 हैक्टर कुल रकबा 2.2662 हैक्टर में से वादी सं. 1 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 2 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 3 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 4 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 5 व 6 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 7 से 16 को 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित होना पाई गई। अतः वाद वादीगण निम्नवत डिक्री किया जाता है।

आदेश

वादी वादीगण डिक्री कर घोषणा कर ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2162 रकबा 0.2400 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2163 रकबा 0.1500

उपखण्ड अधिकारी

हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2164 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी प्रथम खसरा नम्बर 2342 रकबा 156.9700 हैक्टर गै.मु.खारड़ा में से 1.7962 हैक्टर कुल रकबा 2.2662 हैक्टर में से वादी सं. 1 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 2 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 3 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 4 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 5 व 6 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 7 से 16 को 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 08/06/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (R.A.S.)**

राजस्व वाद संख्या 114/2021 **GCMS 2021/445**

वादीगण :-

1. हीरालाल पुत्र किशनाराम जाति नायक, आयु 66 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
2. मोहनी पुत्री किशनाराम जाति नायक, आयु 74 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
3. शायरी पुत्री किशनाराम जाति नायक, आयु 51 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
4. पांचूराम पुत्र बक्शाराम जाति नायक, आयु 63 वर्ष, निवासी हाल जैन राजपूत बस्ती, लिचाणा , तहसील-नावां सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
5. भैरूंराम पुत्र मांगूराम जाति नायक, आयु 55 वर्ष, निवासी भगवानपुरा शिव, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
6. बरजीदेवी पत्नी पूरणमल जाति नायक, आयु 49 वर्ष, निवासी कूकनवाली, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
7. घीसालाल पुत्र नन्दाराम जाति नायक, आयु 71 वर्ष, निवासी रसीदपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला- नागौर (राजस्थान)
8. भंवरीदेवी पत्नी मुक्तिलाल जाति नायक, आयु 59 वर्ष, निवासी चौसला, तहसील-नावां सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
9. हनुमानराम पुत्र घीसालाल जाति नायक, आयु 51 वर्ष, निवासी रसीदपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला- नागौर (राजस्थान)
10. गणपतीदेवी पत्नी प्रकाशचन्द जाति नायक, आयु 46 वर्ष, निवासी डीडवाना रोड कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
11. मन्जू देवी पत्नी कैलाश जाति नायक, आयु 39 वर्ष, निवासी रसीदपुरा मार्ग मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला- नागौर (राजस्थान)
12. सन्तोष देवी पत्नी स्व. रामेश्वर जाति नायक, आयु 47 वर्ष, निवासी मेघवालों की धर्मशाला के पास पलाड़ा, तहसील- कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
13. मुन्नी देवी पत्नी हीरालाल जाति नायक, आयु 45 वर्ष, निवासी मेघवालों पलाड़ा, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
14. दुर्गा देवी पत्नी फूलचन्द जाति नायक, आयु 37 वर्ष, निवासी रसीदपुरा मौलासर, तहसील-डीडवाना, जिला- नागौर (राजस्थान)
15. गौरीदेवी पत्नी देवाराम जाति नायक, आयु 34 वर्ष, निवासी नायकों का मोहल्ला,रूपनगढ़ तहसील-रूपनगढ़, जिला- अजमेर (राजस्थान)
16. प्रमोददेवी पत्नी रामकिशन जाति नायक, आयु 36 वर्ष, निवासी नायकों का मोहल्ला,त्योद तहसील-फुलेरा, जिला- जयपुर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

समस्त वादिगण जरिये आम मुख्त्यार हीरालाल पुत्र किशनाराम जाति नायक, आयु 66 वर्ष, निवासी कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, तहसील- कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, कुचामन सिटी, जिला- नागौर (राजस्थान)

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री तहसीलदार कुचामनसिटी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वादी वादीगण डिक्री कर घोषणा कर ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2162 रकबा 0.2400 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2163 रकबा 0.1500 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2164 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी प्रथम खसरा नम्बर 2342 रकबा 156.9700 हैक्टर गै. मु.खारड़ा में से 1.7962 हैक्टर कुल रकबा 2.2662 हैक्टर में से वादी सं. 1 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 2 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 3 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 4 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 5 व 6 को 1/7 हिस्से, वादी सं. 7 से 16 को 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03 माह 06 सन् 2022 को जारी की गई।

(मुहर) कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत........
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / कोर्ट / 2022 / 131 दिनॉकः– 8/6/2022

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 114 / 2021 **GCMS 2021/445** हीरालाल नायक बनाम राज. सरकार वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय राजस्व प्रकरण वाद सं. 114 / 2021 **GCMS 2021/445** हीरालाल नायक बनाम राज. सरकार वगैरह में पारित डिक्री आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है, मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)